



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०आ०सं०-४१७/२०२१ धारा- ३७६एबी भा०द०सं० व ६ पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त स्वामीदीन पुत्र छन्नू प्रजापति निवासी ग्राम पारा रैपुरा थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
उ०नि० राजकुमार
वर्मा



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० जगत सिंह